(6)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 85/2013

श्रीमति मीरा पत्नि श्री किशना जी आयु 49 साल जाति रावत निवासनी ग्राम मोयणा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

——————वादीया

ब ना म

1– श्री गाजी पुत्र श्री कम्मा जी आयु 64 साल जाति रावत निवासी गांव मोयणा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

2– श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, मसूदा जिला–अजमेर

3– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार महोदय, मसूदा जिला–अजमेर

4– श्री नारायणसिंह पुत्र श्री उजीरासिंह जाति रावत निवासी गांव मोयणा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी

अंतिम निर्णय दिनांक

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2018 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारीत की गई। जिसके तहत तहसीलदार मसूदा ने डिक्री की अनुपालना में अपने पत्र क्रमांक एल.आर/2018/09 दिनांक 29.06.2018 के साथ बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को भिजवाया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम मोयणा पटवार हल्का मोयणा तहसील मसूदा के खसरा संख्या 419/1 रकबा 02–02–00 किस्म बा.3 लगान 0.70 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में उत्तर पूर्व की ओर दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 4 श्री नारायणसिंह पुत्र उजीरासिंह जाति रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या 419/2 रकबा 01–01–00 किस्म बा.3 लगान 0.35 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में दक्षिण पश्चिम की ओर दर्शाया गया है, को वादिया श्रीमती मीरा पत्नि श्री किशना जाति रावत सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम कर एवं लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.6.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 12:42:03 IST
Reason: SelfAttested